

**भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना
के कार्यान्वयन**

पर

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

**संघ सरकार
(रक्षा सेवाएं - थलसेना)
2015 की प्रतिवेदन संख्या 51
(निष्पादन लेखापरीक्षा)**

विषय-सूची

पैरा संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	v
	कार्यकारी सारांश	vii

अध्याय-I: परिचय

1.1	ई सी एच एस के बारे में	1
1.2	योजना का प्रबंधन ढांचा	1
1.3	योजना का प्रशासनिक तथा तकनीकी नियंत्रण	2
1.4	बजट आबंटन तथा व्यय	3
1.5	ई सी एच एस के परिचालन में साझेदार	4
1.6	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा कार्यविधि	6
1.7	लेखापरीक्षा के उद्देश्य	8
1.8	लेखापरीक्षा के मापदंड	8
1.9	आभार	9

अध्याय-II: योजना के कार्यान्वयन में कमियां

2.1	लाभार्थियों का पंजीयन	10
2.1.1	स्मार्ट कार्डों के लिए अनुबंध में अनियमितता	10
2.1.2	प्रभार्य आधार पर लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड जारी करना	11
2.1.3	योजना के अतंगत लाभार्थियों का बहु पंजीयन	12
2.2	ई सी एच एस लाभार्थियों के लिए चिकित्सा प्रक्रिया	14
क.	ई सी एच एस पॉलिक्लिनिकों द्वारा	14
ख.	आपातकालीन स्थिति में सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा	14
ग.	आपातकालीन स्थिति में असूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा	15
2.3	पॉलिक्लिनिक	15
2.3.1	पॉलिक्लिनिकों की अभिकल्पित क्षमता की अपेक्षा उन पर अधिक भार	15
2.3.2	चिकित्सा के समय पर लाभार्थी की पात्रता की जांच करने में विफलता	16
2.3.3	ई सी एच एस पॉलिक्लिनिकों में एम आई एस एप्लिकेशन का अप्रकार्यात्मक होना	18

2.3.4	पॉलिक्लिनिकों को दवाओं की अल्प आपूर्ति	19
2.3.5	लाइफ समाप्त दवाओं/औषधों का निपटान न करना	20
2.3.6	ऑक्सीजन सांद्रक की अनियमित अधिप्राप्ति।	20
2.3.7	बी आई पी ए पी तथा सी पी ए पी की अधिप्राप्ति में अतिरिक्त व्यय	21
2.3.8	ऑक्सीजन गैस की अधिप्राप्ति में अतिरिक्त भुगतान	22
2.3.9	सेवा अस्पतालों द्वारा सेवा कार्मिकों के लिए ई सी एच एस निधियों/भंडारों का विपथन	22
2.3.10	टाईप ‘सी’ एवं ‘डी’ पॉलिक्लिनिकों में श्रमशक्ति एवं चिकित्सा उपकरणों के प्राधिकरण में ताल-मेल का अभाव	24
2.4	श्रमशक्ति	25
2.4.1	केन्द्रीय संगठन एवं क्षेत्रीय केन्द्रों, ई सी एच एस के लिए स्थापना का अप्राधिकरण	25
2.4.2	पॉलिक्लिनिकों में श्रमशक्ति की कमी	25
2.4.3	उपलब्ध श्रमशक्ति का परिनियोजन	26
2.5	सूचीबद्ध सुविधाएँ	27
2.5.1	ई सी एच एस के अधीन अस्पतालों को सूचीबद्ध करने में विलंब	27
2.5.2	आई पी डी रेफरल में ओ पी डी प्रभारों का अनियमित दावा	28
2.5.3	सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा आपातकालीन सूचना रिपोर्ट (ई आई आर) जारी करने में कमियां	29
2.5.4	ओवरलैपिंग अवधि में एक ही रोगी के लिए दो दावे करना	31
2.5.5	दोषी अस्पतालों के विरुद्ध एम ओ ए के दण्डात्मक खण्ड का उपयोग न करना	32
2.6	बिलों की प्रोसेसिंग	34
2.6.1	मैनुअल प्रोसेसिंग	34
2.6.1.1	सूचीबद्ध अस्पतालों के लेखांकित न किए गए चिकित्सा बिलों के प्रति एस एच क्यू दिल्ली छावनी, द्वारा अनियमित भुगतान	34
2.6.1.2	एम ओ ए के अपालन के परिणामस्वरूप अधिक भुगतान	37
	• बढ़े हुए बिल	37
	• जनरल वार्ड में उपचार हेतु 10 प्रतिशत पैकेज दर की कटौती न करना।	37
	• ई सी एच एस रोगियों को गैर-ई सी एच एस दरों से अधिक चार्ज करना	38
	• ऑनकोलॉजी के उपचार हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली दवाओं पर छूट प्राप्त न करना	39
	• सी जी एच एस से अधिक दरों पर एम ओ ए का किया जाना	40
2.6.1.3	एम ओ ए में दवा पर छूट का प्रावधान	41

2.6.2	ऑनलाइन प्रोसेसिंग	42
2.6.2.1	बी पी ए द्वारा किसी समझौता के ज्ञापन (एम ओ ए) के बिना ऑनलाइन बिल प्रोसेसिंग का कार्यान्वयन	42
2.6.2.2	क्षेत्रीय केंद्रों तथा केंद्रीय संस्था ई सी एच एस में श्रमशक्ति की कमी ऑनलाइन दावों के सूक्ष्म परीक्षण को प्रभावित करती है	43
2.6.2.3	बी पी ए/ सी एफ ए द्वारा बिलों के भुगतान हेतु समय-सीमा का पालन न किए जाने के परिणामस्वरूप छूट की अप्राप्ति	44
2.6.2.4	बी पी ए द्वारा भुगतान के निराकरण के बाद सी एफ ए (ई सी एच एस) द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों को भुगतान के लिए अनुमोदन	46
2.6.2.5	बी पी ए को सी जी एच एस में लागू सेवा प्रभारों से अधिक दरों पर कटौती की अनुमति देना	48
2.6.2.6	बी पी ए द्वारा व्यक्तिगत प्रतिपूर्ति दावों से सेवा प्रभारों की अनियमित वसूली	49
2.6.2.7	ई सी एच एस लाभार्थियों के लिए अंतरंग चिकित्सा के मामले में अनुचित कमरे के प्रकार की हकदारी	50
2.6.2.8	लाभार्थियों के संबंध में दावों का भुगतान जिसमें उनके पहले के दावों में मृत घोषित कर दिया गया	51
2.6.2.9	संशोधित दरों के विखंडन में विलंब के कारण अधिक भुगतान	51
2.6.2.10	पी सीज डी ए/सीज डी ए द्वारा उत्तर-लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा मॉड्यूल का विकसित न करना	52
2.6.2.11	चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की अपर्याप्त उत्तर-लेखापरीक्षा	53
अध्याय-III : निष्कर्ष		54
अनुशंसाएं		56
अनुलग्नक -I		59
अनुलग्नक -II		61
अनुलग्नक -III		62
अनुलग्नक -IV		63
अनुलग्नक -V		64
अनुलग्नक -VI		67
अनुलग्नक -VII		68
अनुलग्नक -VIII		69
अनुलग्नक -IX		72
अनुलग्नक -X		73

अनुलग्नक -XI	78
अनुलग्नक -XII	79
अनुलग्नक -XIII	80
अनुलग्नक -XIV	81
अनुलग्नक -XV	82
अनुलग्नक -XVI	83
अनुलग्नक -XVII	84
अनुलग्नक -XVIII	85
अनुलग्नक -XIX	86
अनुलग्नक -XX	87
अनुलग्नक -XXI	88
अनुलग्नक -XXII	89